15/1/21 अधि० उभयपक्ष उप०। सुना गया। दोनों की बहस प्रार्थना पत्र व जवाब के अनुसार रही।

प्रार्थी का कथन है कि आराजी ख०नं० 2408 रकबा 0.06 हे० गै० मु० चारा, 2414 रकबा 0.28 हे० वाके ग्राम आबू तहसील रोडाकसिंह में स्थित है।

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। खातेदार गुमान सिंह व मा कंवर ने अपने हिस्से का हकत्याग कर दिया है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ख.नं. 2410/1 रकबा 0.26 है० व खसरा नम्बर 2410/2 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम भापू में हो है उक्त रास्ते को प्रा० पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है ख.नं. 2410/1 व 2410/2 अप्रार्थी नं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को चाह ख. नंबर 2408 से ख.नं. 2411 की दक्षिणी मेर के सहारे ख.नं. 2410 में होकर जो रास्ता मौके पर मौजूद है आने जाने से मना कर दिया है मौके पर रास्ते को कांटे डालकर डोली लगाकर, खाई लगाकर बन्द करने की धमकी दे रहे है ख.नं. 2414 में आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं. 1 व 2 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 2410/1, 2410/2 वाके ग्राम भापू में से जो रास्ता ख.नं. 2414 वाके ग्राम भापू को जाता है को 10 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आ. ख.नं. 2414 रकबा 0.28 है० वाके ग्राम भापू के लिए ख.नं. 2410/1 व 2410/3 से रास्ता मांगा जा रहा है जबकि ख.नं. 2414 में स्वयं अप्रार्थीगण सह खातेदार है ख. नंबर 2414 में आने जाने का रास्ता कभी भी ख.नं. 2410 में से होकर नहीं रहा है। ख.नं. 2410 भी अप्रार्थीगण की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 2414 का कोई तकासमा नहीं हुआ है प्रार्थी के हिस्से में मात्र 0.04 है० खातेदारी में है जिसका कोई अप्रार्थीगण व दीगर से बंटवारा नहीं हो रखा है बिना विधिवत बंटवारा कराये प्रार्थी ख.नं. 2410 में से रास्ता मांगने का भी कानूनन अधिकारी नहीं है प्रार्थी ख.नं. 2414 का तन्हा खातेदार नहीं है न ही उसके हक में परित्याग हुआ है अप्रार्थीगण सहखातेदार है प्रार्थी अपने हिस्से में ख.नं. 2600 गै.मु. आबादी व ख.नं. 2618 में से होकर तथा ख.नं. 2413 के उत्तर में स्थित Ruby

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रास्ते से जा सकता है ख.नं. 2414 का कोई बंटवारा नहीं हो रखा है। अतः प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी आ.ख.नं. $\frac{2414}{0.28}$ वाके ग्राम भापू में आने जाने हेतु ख.नं. 2410/1, 2410/2 में से होकर 10 फिट चौड़ा रास्ता चाहता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 35 जमाबंदी 2070 से 2073 वाके ग्राम भापू में प्रार्थी का मात्र $\frac{1}{6}$ हिस्सा है। अप्रार्थी नं. 1 का $\frac{1}{6}$ हिस्सा, अप्रार्थी नं. 2 का हिस्सा $\frac{1}{2}$, अप्रार्थी नं. 3 लगा 7 का $\frac{1}{6}$ हिस्सा है इस प्रकार जाहिर है कि अभी ख.नं. 2414 की भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है तब तक भूमि सहखातेदारी की ही सहखातेदारी की भूमि में कानूनन हर सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा। बिना विधिवत तकासमा करवाये प्रार्थी किस आधार पर यह प्रकरण लेकर आया है अर्थात् प्रार्थी Clean Hand से नहीं आया है उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी संधारणीय नहीं होने के फल स्वरूप खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म खुले न्यायालय में सुना दिया गया।

Ruby
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)